भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE; WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.gov.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No FSP/01/2017.Cus तारीख **Date: 01.11.2017**

व्यापार सुविधा **TRADE FACILITY No. 16 / 2017**

विषय : परिपत्र 26/2017 दिनांक 1 जुलाई, 2017, परिपत्र 36/2017 दिनांक 28.08.2017 और 37/2017 दिनांक 20.09.2017 के तहत निर्धारित सेल्फ सीलिंग प्रक्रिया के तहत निर्यातकों द्वारा कंटेनरों के इलैक्ट्रॉनिक सीलिंग का कार्यान्वयन - संबंधित।

Sub: Implementing Electronic Sealing for Containers by exporters under self-sealing procedure prescribed by circular 26/2017-Cus dated 1st July 2017, circular 36/2017 dated 28.8.2017 and 37/2017 dated 20.9.2017 — reg.

1. उपर्युक्त विषय पर सभी निर्यातकों/आयातकों/स्टीमर एजेंटों/सीमाशुल्क ब्रोकरों/ व्यापार एवं उद्योग जगत तथा आम जनता का ध्यान सीबीईसी के परिपत्र सं. 41/2017-कस दिनांक 30.10.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Exporters/ Importers/ Steamer Agents/ Customs Brokers/ Trade & Industry and the Public is invited to the CBEC Circular No. 41/2017-Cus dated 30.10.2017 on the above subject.

2. आरएफआईडी ई-सील का इस्तेमाल कर के सेल्फ-सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होने पर, बोर्ड ने निर्यातकों के लिए अपेक्षित इस आवश्यकता को समाप्त करके निर्यात सुविधा को बढ़ाने का विचार किया है जिसमें अनुमोदित परिसरों में कारगो की स्टफिंग का अधीक्षण करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी की मौजूदगी की आवश्यकता होती थी। इस उपाय से निर्यातकों की लेनदेन लागत में कमी आने की संभावना है क्योंकि उन्हें उक्त अधीक्षण के लिए एम.ओ.टी. शुल्क वहन नहीं करना पड़ेगा और इससे उनका निर्यात कार्य पर भी समय पर पूरा किया जा सकेगा। इस निर्यातकों द्वारा आरएफआईडी ई-सीलों का इस्तेमाल करने के माध्यम से सुविधा को तकनीकी सहारा देने का प्रस्ताव है, क्योंकि इसमें दृश्यता में सुधार लाने और बंदरहगाहों एवं आईसीडी तक ले जाते समय और होल्डिंग अवधि के दौरान कारगो की सुरक्षा को बढ़ाने की क्षमता होती है।

With the introduction of self-sealing using RFID e-seals, the Board has sought to enhance export facilitation by dispensing the need for exporters seeking the presence of jurisdictional officer for the purpose of supervising stuffing of the cargo at approved premises. This measure is expected to reduce transaction costs of exporters since they do not have to incur MoT charges in respect of such supervision as well as improve their timeliness of their exports. Such facilitation is proposed to be backed by application of technology in the form of exporters using RFID e-seals since it has the potential to improve visibility and enhance cargo security during transportation to Ports & ICDs as well as during holding time.

3. परिपत्र 37/2017-कस्टम्स दिनांक 20 सितंबर, 2017 के पैरा 5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि अनिवार्य ई-सीलिंग की तारीख 1 नवंबर, 2017 होगी। व्यापार जगत, फील्ड फोर्मेशन आदि की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए बोर्ड ने वेंडरों, व्यापार संगठनों और फील्ड फोर्मेशनों से परामर्श किया है।

Attention is drawn to para 5 of circular 37/2017-Customs dated 20th September 2017 stating the date for mandatory e-sealing shall be 1st November 2017. In order to take stock of the preparedness of the trade, field formations, the Board held consultations with the vendors, trade associations and field formations.

4. आरएफआईडी स्वयं सीलिंग के तहत निर्यात की नई प्रक्रिया की बेहतर समझ और समरूपता के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं। परिपत्र 26/2017 और 36/2017 में निम्नलिखित निर्यातक श्रेणियों के लिए आरएफआईडी ई-सीलिंग प्रक्रिया अपनाना बाध्य कर दिया है।

The following clarifications are prescribed for the sake of uniformity and better understanding of the new procedures to be followed for export of goods under RFID self sealing. Circulars 26/2017 and 36/2017 have obligated following classes of exporters to adopt RFID e-sealing:

a) जो निर्यातक तत्कालीन प्रक्रियाओं के तहत क्षेत्राधिकार के फोर्मेशनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर सेल्फ-सीलिंग की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
Exporters already enjoying the facility of self-sealing after having been approved by jurisdictional formations under the erstwhile procedures;

b) जो निर्यातक अधीक्षित सीलिंग का लाभ उठा रहे हैं और जो क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त से इस प्रयोजन के लिए किसी तत्काल अनुमति/अनुमोदन की मांग की अवश्यकता के बिना स्वत: आरएफआईडी ई-सीलों का इस्तेमाल कर सेल्फ-सीलिंग करने के पात्र बन गए हों;
Exporters who have hitherto been availing of supervised

sealing and have been automatically entitled to avail of self-sealing using RFID e-seals, without having to expressly seek any permission/approval of the jurisdictional commissioner for this purpose;

c) इस बात को नज़र- अंदाज़ करते हुए कि वे सेल्फ-सीलिंग या अधीक्षित सीलिंग कर रहे हैं, ए.ई.ओ. भी इस नई प्रक्रिया का लाभ उठाने के पात्र हैं ।
AEOs, regardless of whether they were self-sealing or undertaking supervised sealing, have also been entitled to avail of the new procedure;

d) अंतत: सभी निर्यातकों को यह सुविधा प्रदान की गई है बशर्ते कि वे अपने जीएसटी रिटर्न दायर करें लेकिन इसके लिए उन्हें परिपत्र 26/2017-कस दिनांक 1 जुलाई, 2017 के पैरा 9(iii) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त से सेल्फ-सीलिंग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
Lastly, all exporters have been extended this facility subject to their filing GST returns but after seeking permission for self-sealing from the jurisdictional Commissioner as per procedure prescribed under para 9(iii) of circular 26/2017-Cus dated 1st July 2017.

5. उपर्युक्त परिपत्रों में निर्धारित प्रक्रिया केवल <u>किसी पात्र निर्यातक द्वारा अनुमोदित परिसर में सील किए गए फुल कंटेनर लोड वाले कारगो के लिए ही</u> लागू होगी। किसी पोर्ट या आईसीडी में परिपत्र 36/2017-कस्टम्स दिनांक 28 अगस्त, 2017 में निर्धारित किए अनुसार, आरएफआईडी ई-सील का प्रयोग करते हुए सेल्फ-सीलिंग के तहत कोई एफसीएल प्रप्त होने मामले में उसे पिछली प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकारी के अधीक्षण में सील किए गए कंटेनर के समान मान लेना चाहिए। ऐसे कंटेनरों के निरीक्षण करने के लिए जब तक कोई पर्याप्त कारण या आसूचना नहीं होती है और आरएफआईडी ई-सील पर सुरक्षित या कोई छेड़छाड़ नहीं दर्शाया गया हो, तो इन कंटेनरों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

The procedure prescribed under the above circulars applies only to <u>cargo in full container load, sealed at an approved premise, by an entitled exporter.</u> In case of an FCL being received at a Port or ICD under self-sealing using RFID e-seals, prescribed under circular 36/2017-Customs dated 28th August 2017, it shall be deemed to be equivalent to a container sealed under the erstwhile system of officer supervised sealing. Unless and until there are good reasons or intelligence to warrant inspection of such containers, there shall be no need for examination of such containers once the RFID e — seal is read as intact or not tampered.

6. यदि किसी सेल्फ-सील किए गए कंटेनर पर लगाई गई आरएफआईडी सील से छेड़-छाड़ की हुई पाई जाती है, तो परिपत्र 36/2017-कस. दिनांक 28 अगस्त, 2017 के पैरा 2(एफ) में पहले से निर्धारित किए अनुसार ऐसे कंटेनरों की जांच की जानी चाहिए। तथापि, जांच के बाद ऐसे कंटेनरों

की आगे की मूवमेंट आरएफआईडी ई-सील प्रक्रिया के तहत नहीं होगी। ऐसे कंटेनरों की मूवमेंट के लिए सीमाशुल्क द्वारा पारंपरिक बोटल सील का प्रयोग करने वाली मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

In case an RFID seal affixed on a self-sealed container is found tampered, the same shall be subject to examination as already prescribed under para 2(f) of Circular 36/2017-Cus dated 28th August 2017. However, after examination, the further movement of such a container shall not be under the RFID e-seal procedure. The existing system of using the traditional bottle seals by customs shall continue for such movements.

7. आरएफआईडी ई-सील के बिना पोर्ट में लाए गए फुल कंटेनरों को किसी सीएफएस में लेजाना चाहिए या उन्हें सीधी पोर्ट एन्ट्री देनी चाहिए, जैसा भी मामला हो, इसके बाद सामान्य आरएमएस प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसी प्रकार आईसीडी में आने वाले आरएफआईडी ई-सील रहित फुल कंटेनरों को सामान्य जोखिम प्रबंधन पैरामीटरों के तहत गुजरना होगा।

Full containers brought to Ports without RFID e-seals shall be taken to a CFS or allowed direct port entry, as the case may be, and will be subject to usual RMS treatment. Similarly, Full Containers Loads arriving at ICDs, but without RFID e-seals, will be subject to usual risk management parameters.

8. उपर्युक्त विषय पर जारी परिपत्रों के तहत निर्धारित प्रक्रिया गैर-कंटेनर कारगो या एयर कारगो या सीएफएस से आईसीडी/पोर्ट में लो जाने वाले कारगो या लैंड कस्टम्स स्टेशनों के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले कारगो पर लागू नहीं होती है। ऐसे कारगो के लिए मौजूदा प्रक्रिया ही जारी रहेगी।

The procedure under the subject circulars does not apply to export of non-containerized cargo or Air cargo or for movement of cargo from CFSs to ICDs/Ports or cargo exported through Land Customs Stations. Extant practices in respect of such cargo shall continue.

9. सभी पोर्टों और आईसीडी में रीडर नेटवर्क के कवरेज में काफी प्रगति हुई है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फील्ड फोर्मेशनों को आरएफआईडी ई-सीलिंग तथा डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हैंडल करने के लिए प्रणाली एवं प्रक्रिया को पूरी तरह स्थापित करने में कुछ और समय लग सकता है, बोर्ड ने निर्यातकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनिवार्य ई-सीलिंग प्रक्रिया को निम्नलिखित के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है:

While the progress made in the coverage of reader network across ports and ICDs is well recognised, but factoring that it may take some time for the field formations to fully set up systems and procedures for handling RFID e-sealed containers as well as receipt of data, the Board has decided that mandatory e-sealing for different classes of exporters shall be brought in a phased manner as indicated below:

a) पिछली प्रक्रियाओं के तहत सेल्फ-सीलिंग सुविधा की अनुमति प्राप्त सभी निर्यातकों और ए.ई.ओ. श्रेणी के निर्यातकों के संबंध में 8 नवंबर, 2017 से अपने निर्यात कंटेनरों को निर्धारित आरएफआईडी ई-सील से सील किया जाना अनिवार्य होगा। इसका अनुसरण न करने पर कंटेरनरों को सामान्य आरएफएस पैरामीटरों से गुज़रना होगा।
In respect of all exporters who have been permitted self-sealing facilities under erstwhile procedures and exporters who are AEOs, it would be mandatory to seal their export containers with prescribed RFID e-seal w.e.f 8th Nov. 2017. Any non-compliance will subject the containers to usual RMS parameters.

b) अपने परिसरों में अधीक्षित स्टर्फिंग का लाभ उठाने वाले निर्यातकों की श्रेणी के संबंध में, 19 नवंबर, 2017 तक अधीक्षित स्टर्फिंग की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। 20 नवंबर, 2017 से उन्हें आरएफआईडी ई-सीलिंग प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।
In respect of the category of exporters who are availing supervised stuffing at their premises, extant practice of supervised stuffing may continue till 19th November 2017. With effect from 20th November 2017, they shall have to switch to RFID e-sealing procedures.

c) जहां तक परिपत्र 26/2017-कस. दिनांक 1 जुलाई, 2017 के तहत क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी को हालही में सेल्फ-सीलिंग अनुमति का आवेदन करने वाले निर्यातकों का सवाल है, वे अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर तथा आरएफआईडी ई-सीलिंग अपना कर इस सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं।
Regarding the exporters who have newly applied to the jurisdictional customs authority for self-sealing permission under circular 26/2017-Cus dated 1st July 2017, they shall commence use of the facility subject to grant of permission and upon adoption of RFID e-sealing.

10. आरएफआईडी ई-सीलिंग के लागू होने की तारीख का मतलब यह है कि निर्यातकों के लिए निर्धारित तारीख से इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित तारीख से पहले निर्यातक के परिसर में सील किए गए कंटेनर में आरएफआईडी ई-सील लगाकर लाने की आवश्यकता नहीं है।
The applicable date for RFID e-sealing implies that exporters are required to use this procedure from the prescribed date. Any container sealed at the exporters premises before the prescribed date, shall not be required to be brought with RFID e-seal.

11. इस बात को पुन:ध्यान में लाया जाता है कि परिपत्र 37/2017-कस के हत ई-सीलिंग प्रक्रिया को रीडर सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक बनाया गया था। ऐसे कस्टम स्टेशनों जहाँ अभी तक किसी भी वेंडर द्वारा रीडर सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं वहां 31 दिसम्बर 2017 तक वर्तमान पर्क्रियाएँ/ प्रथाएं जारी रहेंगी। आईसीटीटी वल्लारपाडम में रीडर सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने पर यह कार्यालय सभी पणधारियों को इसकी सूचना देगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन निर्यातकों के पास आरएफआईडी ई-सील हैं, वे इस कार्याल से उक्त सूचना प्राप्त होने पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

It may be recalled that vide circular 37/2017-Cus, the e-sealing procedure had been made voluntary subject to availability of reader facilities. The procedures in respect of custom stations where readers have not been provided by any vendor so far shall continue till 31st December 2017 as per existing practices. This office will notify all the stake holders when reader facilities are made available at ICTT vallarpadam. It is also clarified that those exporters who are in possession of RFID e-seals shall be at liberty to commence availing the facilitative procedures after issue of such notification from this office.

12. इस संबंध में कोई कठिनाई हो, तो उप आयुक्त (एसएसपी) के ध्यान में लाया जाए। Difficulties, if any, shall be brought to the notice of the Deputy Commissioner (SSP).

01.11.17

(एस. अनिलकुमार/ S. Anilkumar)
अपर सीमाशुल्क आयुक्त
Additional Commissioner of Customs

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. **The Chief Commissioner, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **EDI Section for uploading on Website of Custom House, Cochin.**
3. **The Cochin Custom House Agent's Association.**
4. **The Cochin Steamer Agent's Association.**
5. **Notice Board.**